न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 87/2016

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 11/07/2016

निर्णय दिनांक : 13/01/2021

मोहनलाल पुत्र गुल्लाराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–– प्रार्थी

बनाम

1. हुक्माराम पुत्र गुल्लाराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. सुदामा प्रसाद पुत्र हीरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. कन्हैयालाल पुत्र हीरा जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. धन्नालाल पुत्र बोदूराम जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. गोपाललाल पुत्र हीरालाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
7. पप्पूडी पत्नि गणपतलाल जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
8. भंवरी देवी पत्नि लालचन्द जाति कुमावत निवासी रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
9. प्रबंधक राजस्थान बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा झरना
10. शाखा प्रबंधक कॉपारेशन बैंक शाखा आसलपुर तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
11. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

–– अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री कृष्ण कुमार लखेरा
कु. निशा पारीक
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सुरेन्द्र शर्मा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1, 9
श्री कन्हैयालाल माली
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ल. 8
अप्रार्थी संख्या 10 फोरमल पक्षकार हैं।
अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 13/01/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम रामपुरा उर्फ बाडिया में खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 381 कुल रकबा 0.4700 हेक्टेयर, खाता संख्या 152 के खसरा नम्बर 372, 373 लगायत 380, 382 लगायत 401 कुल किता 29 कुल रकबा 5.5500 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा उर्फ बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति ळे जिसमें खाता संख्या 151 की आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा एवं खाता संख्या 153 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तदानुसार कब्जा है। अप्रार्थीगण भी अपने दर्ज हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है अप्रार्थी संख्या 7 व 8 रामनारायण पत्रु बोदूराम की पुत्रवधूये है रामनारायण ने अपना हिस्सा अपनी पुत्रवधुओं को विक्रय कर दिया इस कारण रामनारायण की पुत्रवधुओं को पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। पक्षकार अपने अपने हिस्से की आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करते है परन्तु कुछ समय से पक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद रहने लगा तो पक्षकारान ने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष एक पारिवारीक समझौता दिनांक 20.07.2015 को किया जिसके अनुसार संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दिखाया गया भू भाग प्रार्थी के हिस्से में आया नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है पारिवारीक समझौते के अनुसार प्रार्थी के खेतों में जाने के लिए मार्क एक्स से मार्क वाई तक एक रास्ता कायम किया गया जिसकी चौडाई 18 फीट है उक्त रास्ता डामर रोड से श्मशान तक नियत किया गया है। अप्रार्थीगण लिखावट दिनांक 20.07.2015 व 07.08.2015 से

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

एस्टोप्ड है इस समझौते की लिखावट से पाबंद होने के कारण अप्रार्थीगण को रास्ता मार्क एक्स वाई एवं भूखण्ड मार्क ए बी पर कब्जा करने का प्रार्थी को बेदखल करने का उसके उपयोग उपभोग में बाधा पहुचाने का कोई विधिक या नैतिक अधिकार नही है। दिनांक 04.07.2016 को अप्रार्थीगण ने रास्ते एक्स वाई पर कब्जा करने व प्रार्थी के हिस्से की आराजी व प्रार्थी द्वारा छोडा भू भाग ए बी पर कब्जा करने की धमकी दी व प्रार्थी की जमीन पर निर्माण करने की धमकी दी काफी समझाईश के बाद नही माने इसलिए वादी के हितों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह प्रार्थी की भूमि में जाने के रास्ते एक्स वाई को बंद नही करे, न प्रार्थी के आने जाने में व्यवधान उत्पन्न करे न प्रार्थी के हिस्से की आराजी का रहन, विक्रय हस्तांतरण आदि करे न कोई निर्माण करे न प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे न ही प्रार्थी के द्वारा छोडी गयी मार्क ए बी भूमि पर कब्जा नही करे न निर्माण करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 21/12/2016 अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र शर्मा एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 3, 4 7 की ओर से श्री कन्हैयालाल माली एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 9 व 10 फोरमल पक्षकार हैं एवं अप्रार्थी संख्या 11 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी साक्ष्य साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072, नकल लिखावट

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बूंदू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बूंदू

दिनांक 07/08/2015 तथा अप्रार्थी संख्या 1 ल. 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

प्रथम दृष्ट्या केस– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 151, 152 के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 8 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से पक्षकारान के मध्य प्रथम दृष्ट्या विवाद बंटवारे को लेकर पाया जाता हैं, विवादित आराजीयात पक्षकारान की कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि पक्षकारान के मध्य अभी आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है, इसलिये कानूनन जब तक विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा नही हो जाता तब तक विवादित आराजीयात में प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारान का हक व हिस्सा निहित होता है, इसलिये जब तक विभाजन नही हो जाता कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 ल. 8 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा, क्योंकि दौरान वाद अप्रार्थी संख्या 1 ल. 8 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार है, उनके द्वारा यदि आराजी का बैचान किया जाता है या प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रकरण में बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ल. 8 को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में प्रबल साबित होता हैं।

सुविधा का सन्तुलन – यह कि चूंकि पक्षकारान विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद विवादित आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन नही होना प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण तथा पारिवारिक समझौता–पत्र दिनांक 20/07/2015 के आधार पर पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन तब तक यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वे आराजीयात को खुर्दबुर्द कर सकते है, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 151 के आराजी खसरा नम्बर 381 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खाता संख्या 152 के आराजी खसरा नम्बर 372, 373 लगायत 380, 382 लगायत 401 कुल किता 29 कुल रकबा 5.5500 हैक्टेयर वाके ग्राम रामपुरा बाडिया, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा न किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विक्रयादि करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्रांक कलक्टर दूदू (फास्ट ट्रेक)